

राजस्थान-सरकार
राजस्व(ग्रुप-1) विभाग

कमांक:प.9(3)राज-1/09/पार्ट-3

जयपुर, दिनांक : 09-09-2011

:- अधिसूचना:-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम, 15) की धारा 16, के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला बाडमेर की तहसील शिव के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-5 में अंकित मजराओं/दाणियों को एतदपश्चात् राजस्व गाँव के रूप में माना तथा अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल वर्तमान राजस्व गाँव की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-6 के अनुसार होगा:-

क. सं.	नाम जिला / तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम / जनसंख्या	मूल राजस्व ग्राम का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम / जनसंख्या	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	दूरी (कि.मी. में)	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	बाडमेर / शिव	हाथी सिंह का गाँव / 597	3422.00	बली गोरामा की दाणी / 227	290.00	5.00	3132.00

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर, बाडमेर को अधिकृत किया जाता है। जिला कलेक्टर अभिलेखन संबंधी समस्त कार्य परिपत्र कमांक प.9(16)राज-1/07 दिनांक 20.8.09 के अनुसार निष्पादित कर राज्य सरकार को अवगत करायेगा।

आज्ञा से,

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव